तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
7/10/22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित हो। पत्रावली मे विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 16:16:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–99 / 2022

GCMS NO:- 2022/184

दायर दिनांक: 16.06.2022

पीठासीन अधिकारी :– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

1. राजेन्द्र कुमार योगी आ0 भैरूलाल योगी जाति नाथ निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थी–

बनाम

1. कैलाशी बाई पुत्री पोखर जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
2. गलोर पुत्री पोखर जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
3. जसोदा पुत्री पोखर जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
4. द्वारका पुत्री पोखर जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
5. रामघणी पुत्री पोखर जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
6. प्रहलाद पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
7. राधेश्याम पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
8. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह नरूका एवं श्री हसन मियां।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री शांतिलाल मीणा।

निर्णय दिनांक 07.10.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व आधिपत्य की ग्राम रालडी पटवार हल्का रजलावता भू0अ0नि0 क्षेत्र रजलावता तहसील नैनवॉं जिला बून्दी की कृषि भूमि सम्वत् 2076 से 2079 की जमाबंदी खाता संख्या 92 की खसरा संख्या 318 रकबा 2.7911 हेक्टयर, खसरा संख्या 319 रकबा 0.1942 हेक्टयर, खसरा संख्या 320 रकबा 0.3155 हेक्टयर, कुल किता 3 कुल रकबा 3.3008 हेक्ट0 भूमि स्थित है। यह कि उक्त भूमि पर प्रार्थी पूर्व खातेदारान के समय से ही लगातार पहले पूर्व खातेदारान व उसके बाद प्रार्थी ग्राम रालडी से ग्राम लालगंज जाने वाले आम रास्ते खसरा संख्या 296 से होता हुआ अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 317 की मेर पर होता हुआ अपने खातेदार की भूमि खसरा संख्या 318 पर पहुचता है तथा उक्त रास्ते को नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है। नक्शा परिशिष्ट "अ" प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। यह कि प्रार्थी नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये रास्ते अनुसार रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपने कृषि यंत्रो व जानवरो को लाने ले जाने के काम में शांति पूर्वक बदस्तूर करता चला आ रहा है। प्रार्थी दिनांक 11.06.2022 को बदस्तूर रास्ते पर होकर अपनी भूमि पर ट्रेक्टर लेकर हाकने के लिए जा रहा था तभी अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 प्रार्थी के आडे फिर गये तथा प्रार्थी से कहने लगें कि अब तु यहां पर होकर नही निकलेगा यह कोई आम रास्ता नही है तो प्रार्थी ने अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 से कहा कि मै तो काफी समय से इसी रास्ते पर होकर आ जा रहा हूँ इसके अलावा मेरी भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता नही है तो अप्रार्थीगण कहने लगें कि हमें इससे कोई मतलब नही है तथा रास्ते को कांटे डालकर व तारबंदी खेंच कर अवरूद्ध कर दिया तथा प्रार्थी को रास्ते पर होकर निकलने से मना कर दिया। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुति कारण है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाये रास्तानुसार 20 फुट चौडे रास्ते को राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 को पांबद किया जावे कि वह प्रार्थी को नक्शा परिशिष्ट "अ" मे लाल स्याही से दर्शाये रास्ते के उपयोग व उपभोग करने व कृषि यंत्रो को अपनी भूमि पर लाने व ले जाने एवं भूमि को हा[illegible] अवरूद्ध कर बंद नही करे रास्ते को नष्ट भ्रष्ट नही करे, ऐसा न तो स्वयं करे न ऐसा [illegible]रवायें।

अप्रार्थीगण ने अपने जवा[illegible] रास्ता बताया गया है वह पूर्णत गलत है। खसरा संख्या 317 [illegible] नहीं [illegible] परिशिष्ट "अ" मे दर्शाया गया रास्ता पूर्ण रूप से असत्य एवं निराधार है। यह [illegible] रास्ते से खसरा संख्या 262 व 263 की मेड पर होते हुए भूमि [illegible] और इसी रास्ते से वर्षो दराज से आ जा रहा है और वर्तमान मे भी उक्त रास्ते ही प्रार्थी आ जा रहा है और [illegible] रास्ते से भूमि खसरा संख्या 318 मे उड़द की फसल बोई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 16:16:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉं (बूंदी)

Scanned with CamScanner

यह कि भूमि खसरा संख्या 318 के आस पास अन्य काश्तकार भी रालडी से बणजारी बावडी के रास्ते से फटकर भूमि खसरा संख्या 262 व 263 के मेड पर होकर ही आ जा रहे है। यह कि भूमि खसरा संख्या 318 का अन्यत्र वैकल्पिक रास्ता होने से प्रत्यार्थीगण के खातेदारी आधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 317 मे रास्ता घोषित नही किया जा सकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रास्ता रिपोर्ट प्रस्ताव के अनुसार प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 318 में पहुंचने के लिए रास्ता चाहा गया है। मौके की स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 317 की पश्चिमी मेड पर स्थित खसरा नम्बर 295 मे ट्यूबेल लगा हुआ है। खसरा नम्बर 317 व 318 की मेड पर 11 केवी लाईन का खम्भा स्थित है। यह है कि इसी प्रकार खसरा नम्बर 317 की पूर्वी मेड पर स्थित खसरा नम्बर 316 मे भी ट्यूबेल लगी हुई है इसलिए प्रार्थी को खसरा नम्बर 318 में जाने के लिए रिकॉर्ड में दर्ज खसरा नम्बर 296 गै०मु० रास्ते से खसरा नम्बर 317 की पश्चिमी मेड के समानान्तर रास्ता प्रस्तावित किया जा सकता है।

यह है कि प्रस्तावित रास्ते का विवरण निम्न प्रकार है -

ख० न०	किस्म	कुल रकबा	माप प्रस्तावित रास्ता ल० चौ०
317	बारानी 2	13–02 बीघा	92 गट्ठा * 2.5 गट्ठा अर्थात 230 वर्ग गट्ठा अर्थात 0.0931 हैक्टयर

इस प्रकार उपरोक्त रास्ते हेतु 0.0931 हैक्टयर भूमि उपयोग मे ली जावेगी। यह है कि प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में चिन्हित कर दो प्रतियां संलग्न है। यह है कि उक्त खसरा नम्बर 317 ग्राम रालडी पर आज दिनांक 05.07.2022 तक किसी भी न्यायालय मे स्थगन प्राप्त नहीं है। यह है कि उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी, जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। बहस में वकील पक्षकारान ने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्राथी ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने हेतु प्रस्तावित रास्ता मय नक्शा प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम रालडी पटवार हल्का रजलावता भू०अ०नि० क्षेत्र रजलावता तहसील नैनवाँ जिला बून्दी की कृषि भूमि सम्वत् 2076 से 2079 की जमाबंदी खाता संख्या 92 की खसरा संख्या 318 रकबा 2.7911 हेक्टयर, खसरा संख्या 319 रकबा 0.1942 हेक्टयर, खसरा संख्या 320 रकबा 0.3155 हेक्टयर, कुल किता 3 कुल रकबा 3.3008 हेक्ट० भूमि पर आने जाने हेतु निम्नानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है–

ख० न०	किस्म	कुल रकबा	माप प्रस्तावित रास्ता ल० चौ०
317	बारानी 2	13–02 बीघा	92 गट्ठा * 2.5 गट्ठा अर्थात 230 वर्ग गट्ठा

इस प्रकार कुल 230 वर्ग गट्ठा अर्थात् 0.0931 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित रास्ते के नक्शा ट्रेश, जिसे परिशिष्ट–''क'' नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2022 को मेरे द्वारा [illegible] हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 15:16:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

Scanned with CamScanner

[illegible] नैनवां (बून्दी)

परिशिष्ट - "क"

[illegible] उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी (राज.)

दिनांक 0.22

तहसीलदार

नैनवाँ

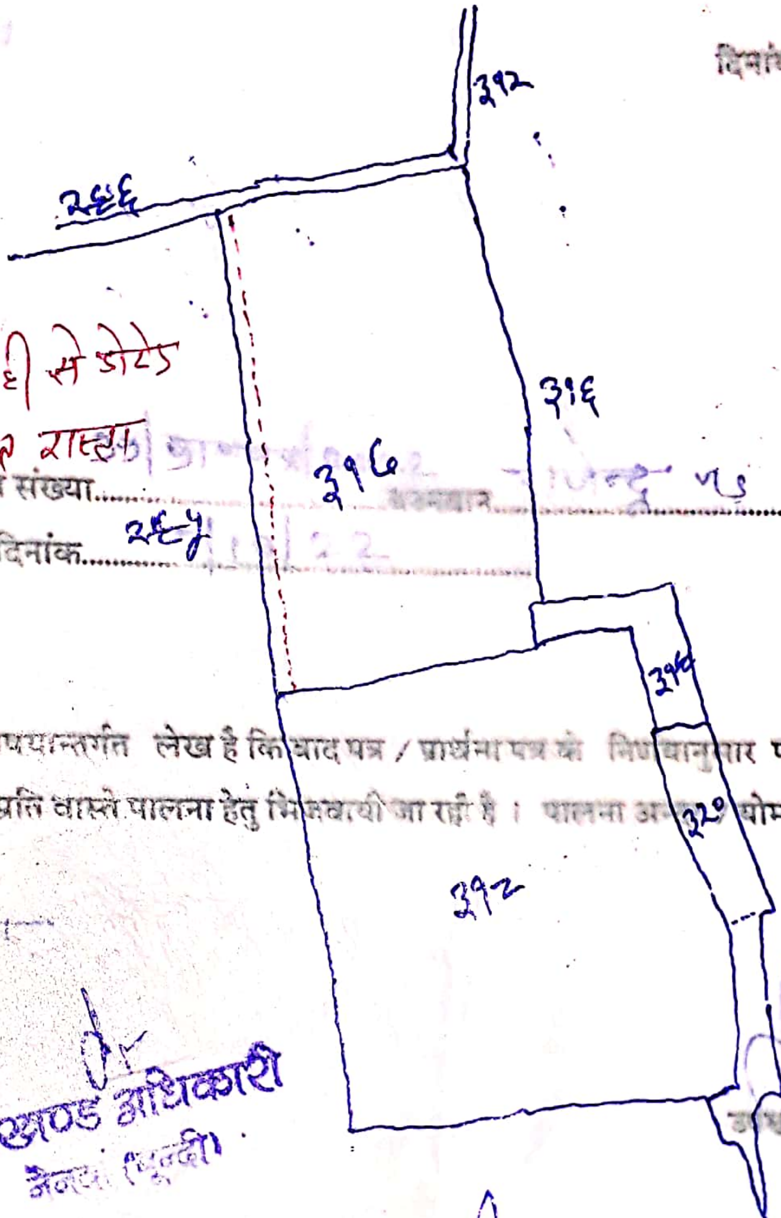

विषय :- वाद पत्र संख्या .... बनाम ....

निर्णय दिनांक ....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र / प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ [illegible] मिसल / [illegible] डिक्री / निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना [illegible] मौके की जा[illegible] रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्न:- प्र. निर्णय

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी

नैनवाँ

P-35 = 127

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar

Date: 2023.03.22 16:16:25 IST

Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यायल उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी (राज.)

क - रीडर/2022/ 531

दिनांक 7:10:22

प्रेषिति :-

तहसीलदार

नैनवाँ

विषय :-वाद पत्र संख्या 99/ज्ञापपत्र/2022 बउनवान राजेन्द्र vs कैलाशी

निर्णय दिनांक 7/10/22

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र / प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राथमिक / ~~अन्तिम डिक्री~~ / निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है । पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे ।

संलग्नः- प्र. निर्णय

उपखण्ड अधिकारी

नैनवाँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.22 15:16:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca